UPAU120008152022

न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0, बिधूना, जनपद औरैया।

उपस्थित : डॉ0 प्रवीण सिंह, उ0प्र0 न्यायिक सेवा (UP 3441)

परिवाद संख्या–15/2022

सोनी **बनाम** राजकुमार आदि।

अन्तर्गत धारा 498ए,323,504,506 भा0दं0सं0
व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना बिधूना, जिला औरैया।

दिनांक–10.03.2026

पत्रावली आदेशार्थ नियत है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण राजकुमार व अन्य के विद्वान अधिवक्ता को उन्मोचन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 245 दं0प्र0सं0 दिनांकित 19.06.2025 पर पूर्व नियत तिथि पर सुना जा चुका है।

निस्तारण उन्मोचन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 245 दं0प्र0सं0 दिनांकित 19.06.2025–

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण राजकुमार व अन्य की ओर से उन्मोचन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 245 दं0प्र0सं0 दिनांकित 19.06.2025 इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण उक्त परिवाद में अभियुक्तगण हैं। प्रार्थीगण ने उक्त मामले में अपनी जमानतें करा ली हैं। प्रार्थीगण की पत्रावली पर दिनांक 10.12.2024 को परिवादिनी का साक्ष्य अन्तर्गत धारा 244 दं0प्र0सं0 का अवसर समाप्त कर दिया गया। उक्त परिवाद में परिवादिनी जानबूझकर हाजिर नहीं आ रही है, जिससे पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही। प्रार्थीगण सीधे–सादे एवं गरीब व्यक्ति हैं। प्रार्थीगण मेहनत मजदूरी करने के लिए घर से बाहर रहते हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को धारा 245 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत उन्मोचित किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को उपरोक्त प्रकरण में धारा 245 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत उन्मोचित किये जाने की कृपा करें।

परिवादिनी की ओर से उपरोक्त उन्मोचन प्रार्थना पत्र पर आपत्ति का पृष्ठांकन किया गया है तथा कथन किया कि आपत्ति हेतु समय दिया जाये, परन्तु उसकी ओर से उन्मोचन प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गयी है और न ही वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित आयी है।

उक्त उन्मोचन प्रार्थना पत्र पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थिनी/परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 न्यायालय के समक्ष दिनांक 04.01.2022 को दायर किया गया था, जिसे न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 18.04.2022 के आलोक में परिवाद के रुप में संस्थित किया गया था। परिवादिनी के बयान अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0, परिवादिनी के अन्य साक्षियों के बयान अन्तर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय द्वारा दिनांक 10.06.2022 को अभियुक्तगण राजकुमार, मनोज कुमार, प्रकाशी देवी व सोनी

Digitally signed by PRAVEEN SINGH
Date: 2026.03.10 16:09:04 IST
Reason: Order
Location: CJJD/JM Outlying Court, Bidhuna

को धारा 498ए,323,504,506 भा0दं0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत विचारण हेतु आहूत किया गया। तत्पश्चात् आने उपस्थित अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर अपनी–अपनी जमानतें करायी गयीं एवं पत्रावली साक्ष्य अन्तर्गत धारा 244 दं0प्र0सं0 हेतु नियत की गयी।

अभियुक्तगण स्वयं अथवा जरिये अधिवक्ता प्रत्येक नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित आते रहे। दिनांक 18.06.2024 को परिवादिनी की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया। इसके उपरान्त परिवादिनी न तो स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित आयी और न ही उसकी ओर से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया। परिवादिनी को धारा 244 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत साक्ष्य दाखिल करने के लिए कई बार अवसर दिये गये, परन्तु परिवादिनी न तो न्यायालय में हाजिर आयी और न ही उसके द्वारा न्यायालय के समक्ष साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया। न्यायालय द्वारा दिनांक 10.12.2024 को परिवादिनी का साक्ष्य अन्तर्गत धारा 244 दं0प्र0सं0 का अवसर समाप्त करते हुए पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु धारा 245 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत नियत की गयी। अभियुक्तगण द्वारा उन्मोचन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 245 दं0प्र0सं0 दिनांकित 19.06.2025 प्रस्तुत कर कथन किया गया कि उपरोक्त परिवाद में परिवादिनी न तो उपस्थित आयी है और न ही उसके द्वारा साक्ष्य अन्तर्गत धारा 244 दं0प्र0सं0 प्रस्तुत किया गया है। परिवादिनी जानबूझकर हाजिर नहीं आ रही है, जिससे पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही। प्रार्थीगण सीधे–सादे एवं गरीब व्यक्ति हैं। परिवादिनी के हाजिर न होने के कारण उनका साक्ष्य का अवसर समाप्त कर दिया गया। उपरोक्त उन्मोचन प्रार्थना पत्र पर परिवादिनी के अधिवक्ता द्वारा आपत्ति का पृष्ठांकन किया गया है तथा कथन किया कि आपत्ति हेतु समय दिया जाये, परन्तु उसकी ओर से उन्मोचन प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गयी है और न ही न्यायालय के समक्ष उपस्थित आयी है, जिस कारण न्यायालय द्वारा दिनांक 10.12.2024 को परिवादिनी का उपरोक्त उन्मोचन प्रार्थना पत्र पर आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादिनी उक्त मुकदमें को वेवजह विलम्बित कर रहा है। यदि परिवादिनी के पास पर्याप्त साक्ष्य था, तो वह अपना साक्ष्य न्यायालय के समक्ष अविलम्ब प्रस्तुत कर सकती थी। भारतीय संविधान पक्षकारों को शीघ्र मुकदमें के निस्तारण का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। परिवादी के द्वारा साक्ष्य दाखिल न किये जाने से अभियुक्तगण लगातार मुकदमेंबाजी का सामना कर रहे हैं। परिवादी का आचरण अभियुक्तगण को अनावश्यक रुप से मुकदमेंबाजी में उलझाये रखने की प्रवृत्ति प्रतीत होती है।

मैंने धारा 245(1) दं0प्र0सं0 का परिशीलन किया, जिसके अनुसार **"यदि धारा 244 में निर्दिष्ट सब साक्ष्य लेने पर मजिस्ट्रेट का, उन कारणों से, जो लेखबद्ध किये जायेंगे, यह विचार है कि अभियुक्त के विरुद्ध ऐसा कोई मामला सिद्ध नहीं हुआ है, जो अखण्डित रहने पर उसकी दोषसिद्धि के लिए समुचित आधार हो, तो मजिस्ट्रेट उसको उन्मोचित कर देगा।"**

उपरोक्त विषयगत मामले में निम्न विधि व्यवस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था इसका मार्गदर्शन करता है–

Ajoy Kumar Ghose Vs State of Jharkhand, (2010)1 SCC (Crl 1301) **"The Magistrate has the power of discharging the Accused at any previous stage of the case, i.e. even before such evidence is led however, for discharging an accused U/S 245(2) Cr.p.c at any previous stage of the case" clearly bring out this position. It will be better to see what is that "previous stage", the previous stage would obviously be before the evidence of the prosecution U/S 244(1) Cr.p.c is complete or any stage prior to that."**

उपरोक्त विधि व्यवस्था को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा **मनोज डालमियां बनाम उत्तर प्रदेश व अन्य एप्लीकेशन नम्बर अन्तर्गत धारा 482 नम्बर 26567/2011** में भी प्रतिपादित किया गया है।

उपरोक्त विधि व्यवस्था तथा पत्रावली के अवलोकन से न्यायालय इस मत पर पहुंचती है कि परिवादिनी को बार–बार साक्ष्य अन्तर्गत धारा 244 दं0प्र0सं0 का अवसर प्रदान किया गया, परन्तु उसके द्वारा कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया है। चूंकि न्यायालय द्वारा कई अवसर दिये जाने के बावजूद परिवादी द्वारा साक्ष्य दाखिल नहीं किये जाने पर उसका साक्ष्य अन्तर्गत धारा 244 दं0प्र0सं0 का अवसर समाप्त किया गया। पत्रावली पर परिवादी के द्वारा ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे अभियुक्तगण पर आरोप अन्तर्गत धारा 498ए,323,504,506 भा0दं0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त प्रतीत होते हों। अतः उपरोक्त विधिक प्रावधानों, तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को उन्मोचित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को धारा 245 दं0प्र0सं0 के अर्न्तगत आरोप विरचित किये जाने से पूर्व आरोपित अपराध से उन्मोचित किये जाने का आधार पर्याप्त है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का उन्मोचन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 245 दं0प्र0सं0 दिनांकित 19.06.2025 स्वीकार किये जाने के आधार पर्याप्त प्रतीत होते हैं।

आदेश

अभियुक्तगण का उन्मोचन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 245 दं0प्र0सं0 दिनांकित 19.06.2025 स्वीकार किया जाता है। प्रश्नगत परिवाद संख्या 15/2022, सोनी बनाम राजकुमार व अन्य, थाना बिधूना, जिला औरैया के प्रकरण में अभियुक्तगण राजकुमार, मनोज कुमार, प्रकाशी देवी व सोनी को अन्तर्गत धारा 498ए,323,504,506 भा0दं0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध से धारा 245 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं, उनके व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा उनके जामिनदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। तद्नुसार वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांकः–10.03.2026

(डॉ0 प्रवीण सिंह)
सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0,
बिधूना, औरैया।
JO Code No. UP 3441